स्वत्व वाद संख्या 07/2022
दिनांक 23.11.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 23.11.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 12.07.2023 को आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 15 दीपक कुमार मिश्र दिनांक 12.04.2023 अविवाहित अवस्था में मर गए एवं चूंकि वो अविवाहित थे अतः उनकी मां पुष्पा मिश्रा जो कि वर्ग सं0 1 मात्र उत्तराधिकारी है मृतक का नाम काटकर उनके उत्तराधिकारी का नाम और पता प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की तरफ से अभी तक पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं है अतः प्रतिवादी का जवाब अभिलेख पर नहीं है।

उपस्थित पक्षकार को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 1 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 15 दीपक कुमार मिश्र दिनांक 12.04.2023 अविवाहित अवस्था में मर गए एवं चूंकि वो अविवाहित थे अतः उनकी मां पुष्पा मिश्रा जो कि वर्ग सं0 1 मात्र उत्तराधिकारी है मृतक का नाम काटकर उनके उत्तराधिकारी का नाम और पता प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए, मामले में चूंकि प्रतिवादी सं0 15 की मृत्यु हो चुकी है अतः उनका नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है। मामले में चूंकि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है मामले में प्रतिवादी संख्या 15 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 15 ''क'' के रूप में पुष्पा मिश्रा का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम तिथि तक मरम्मती संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करें और एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।